स0 अधि0 (श्री कुमार)

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–1
संख्या :1671 /I(2)/2011-04(8)-118/2010
देहरादून : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2011

अ0मु0 रा0अ0
24.10.11

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई सरकारी अधिसूचना संख्या–257/I(2)/2011-04(8)-118/2010, दिनांक 17–02–2011 के क्रम में राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ अर्थात् ग्राम पालीसैण, परगना–कीर्तिनगर, तहसील–देवप्रयाग, जिला टिहरी–गढ़वाल में नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि0 (एन0एच0पी0सी0) की कोटलीभेल जल विद्युत परियोजना (चरण–1A) के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यकता है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2– चूंकि, राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी उक्त लोक प्रयोजन के लिये धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान पर, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	प्रस्तावित क्षेत्रफल
टिहरी गढ़वाल	देवप्रयाग	पालीसैण	(खसरा न0, क्षेत्र (है0 में))
			(352/1, 0.200) (429/1, 0.200) (429/2, 0.200)
			योग 03 = 0.600 है0

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:– जिला टिहरी गढ़वाल में ग्राम पालीसैण, परगना कीर्तिनगर, तहसील देवप्रयाग में नैशनल हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित कोटलीभेल जल विद्युत परियोजना (चरण–1A) के निर्माण हेतु।

टिप्पणी:– उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साईट प्लान) कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या : 1671/I(2)/2011-04(8)-118/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के आगामी/असाधारण गजट भाग–4 खण्ड–'ख' में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल तथा 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. उप महाप्रबन्धक, कोटलीभेल जल विद्युत परियोजना (चरण–1A), नैशनल हाईड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
6. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1671 /I(2)/2011-04(8)-118/2010, Dated 19 October, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand
Energy Section-I
No-1671 /I(2)/2011-04(8)-118/2010
Dated: Dehradun: 19 October, 2011

Notification

In continuation of the Government Notification No. 257/I(2)/2010-04(8)-118/2010, dated 17.02.2011, issued under sub-section (1) of section 4 read with sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act. No. 1 of 1894), the Governor is pleased to declare under sub section(1) of section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose, namely for the construction of Kotlibhel Hydroelectric Project (Stage-IA) through National Hydroelectric Power Corporation Ltd. in Village Palisain, Pargana-Kirtinagar, Tehsil-Devprayag, District Tehri Garhwal. Therefore, direct the Collector of Tehri Garhwal under section 7 of the said Act to take action for the acquisition of the said land.

2- The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act, to direct that though no award under section 11 has been made, the Collector, Tehri Garhwal may, on the expiration of 15 days from the date of the publication of a notice under sub-section (1) of section 9, take possession of the land, mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

Schedule

District	Tehsil	Village	Proposed Land (Area in Hec.)		
Tehri Garhwal	Devprayag	Palisain			
			(352/1, 0.200)	(429/1, 0.200)	(429/2, 0.200)
Total - 03 = 0.600 Hec.					

For what purpose required :- for construction of Kotlibhel Hydroelectric Project (Stage-IA) through National Hydroelectric Power Corporation Ltd. in Village Palisain, Pargana-Kirtinagar, Tehsil-Devprayag, District-Tehri Garhwal.

Note:- A site plan of land may be inspected by the interested person in the Office of the Collector, Tehri Garhwal.

By Order,

(Alok Kumar Jain)
Principal Secretary

D:\Nimah\Land Acquisition\UO\Land Acquisition of Village-Palisain for construction of Kotlibhel HEP (Stage-1A) (Sec.-6).doc